## न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर (म०प्र०)

<u>दांडिक प्रकरण क.— 258/13</u> संस्थापित दिनांक— 03.08.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर

अभियोजन

## विरुद्ध

- 1. संजम पुत्र मोती ढीमर, उम्र 36 वर्ष
- 2. प्रमोद प्रत्र संजम ढीमर, उम्र 23 वर्ष
- गुड्डीबाई पत्नी संजम ढीमर, उम्र 28 वर्ष, समस्त निवासीगण नानकपुर, तह0 चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

## —: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक ..... को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323/34, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 02.07.2013 को शाम 07.00 बजे ग्राम नानकपुर फरियादी के मकान के पास फरियादी सखीबाई एवं रमुआ को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सखीबाई के कान का बाला खीच कर उसके कान में धारदार वस्तु से एवं सखीबाई के पिता रमुआ को चाटों से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.2013 को फरियादी अपनी ससुराल ग्राम सखवारा से अपने मायके नानकपुर पहुँची थी। शाम 07.00 बजे उसका चचेरा भाई संजम, भतीजा प्रमोद व भाभी गुड़डीबाई तीनों आये और कहने लगे कि तालाब में मछली का बीज क्यों डाला जिस पर फरियादिया ने कहा कि उसने तालाब सरकार से पट्टे पर लिया है तो इसी बात पर तीनों अभियुक्तगण सखीबाई को मॉ—बहन की गालिया देने लगे। अभियुक्त संजम ने

सखीबाई को पकड लिया तथा प्रमोद ने दाहिनी तरफ से कान पकड कर खीच लिया जिससे कान का झाला टूट गया और कान की लो कट कर उसमें से खून निकलने लगा। अभियुक्त गुड्डीबाई ने पीठ में मुक्कामारा जिससे मुंदी चोट आई और जब सखीबाई को बचाने के लिये उसके पिता आये तो प्रमोद ने उन्हें गाल पर चाटा मारा जिससे उन्हें भी मुंदी चोट आई, मौके पर विमलेश, भारती ने उन्हें बचाया तथा फरियादिया का पित भी घटना के समय आ गया था उसने भी घटना देखी थी।

- 03— घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 फरियादिया ने अपने पित व पिता के साथ पुलिस थाना चंदेरी में जाकर की थी, जो पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अदम चैक कमांक 351/13, अंतर्गत धारा 323, 504 भा0द0वि0 के अपराध के संबंध में लेखबद्ध की गई। आहत्गण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी को धारदार वस्तु की चोट पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी द्वारा अपराध के असल कायमी करते हुये अभियुक्तगण के विरूप पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक 243/13, अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना की गई तथा बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में उल्लेखीनय है कि दिनांक 10.01.2017 को फरियादिया सखीबाई पत्नी हरलाल ने एवं दिनांक 11.01.2017 को रमुआ पुत्र सुनुआ ढीमर ने उपस्थित होकर अभियुक्तगण से राजीनामा करने वाबत् पृथक—पृथक आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2), 320 (8) द0प्र0सं० के प्रस्तुत किये। फरियादिया सखीबाई के संबंध में अभियुक्तगण पर धारा 324 भा0द0वि० का अपराध विरचित किया गया था जो कि शमनीय प्रकृती का न होने से सखीबाई की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.01.2017 अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0सं० निरस्त किये गया। आहत् रमुआ के संबंध में अभियुक्तगण पर धारा 323 के आरोप विरचित किये गये थे जो कि शमनीय प्रकृति का था। अतः रमुआ की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.01.2017 अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0सं० स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को धारा 323 भा0द0वि० के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया तथा धारा 324/34 भा0द0वि० के अपराध के आरोप के संबंध में विचारण किया गया।
- 05— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फसाया गया है।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-
  - 1. क्या दिनांक 02.07.2013 को शाम 07.00 बजे ग्राम नानकपुर में अभियुक्तगण ने फरियादिया सखीबाई को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित करते हुये उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया के कान में धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहित कारित की ?
  - 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## -:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 07— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र सखीबाई (अ0सा0 1) सिहत हरलाल (अ0सा0 2) व रमुआ (अ0सा0 3) के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादिया सखीबाई (अ0सा0 1) का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि 3—4 वर्ष पहले अभियुक्तगण का उसके पित से तालाब में मछली पकड़ने के ठेके को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर अभियुक्तगण ने उसके पित के साथ घर के बाहार गाली—गलौच व हाथापाई कर दी थी तथा उस समय वह घर में थी। फरियादिया का यह भी कहना है कि अभियुक्तगण ने न तो उसके साथ कोई मारपीट की और न ही उसे चोटे आई क्योंकि उसने कोई घटना नहीं देखी, उसके पित ने उसे घटना के बारे में बताया था।
- 08— सखीबाई (अ०सा० 1) घटना में मुख्य आहत् होकर घटना में फरियादिया भी है, परन्तु इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में अपने साथ कोई घटना घटित होना ही नहीं बताया है, बिल्क अभियुक्तगण का अपने पित के साथ विवाद होना बताया है, जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार मुख्य विवाद अभियुक्तगण का सखीबाई से हुआ था तथा उसका पित हरलाल (अ०सा० 2) बाद में घटना स्थल पर आया था। अतः स्पष्ट रूप से फरियादिया सखीबाई (अ०सा० 1) के कथन अभियोजन कहानी के विपरीत है जिससे फरियादिया के कथनों से प्र०पी० 1 में उल्लेखित घटना की पुष्टि नहीं होती है। फरियादिया सखीबाई (अ०सा० 1) जिसकी मारपीट के आरोप अभियुक्तगण पर है वह स्वयं ही अपने न्यायालयीन कथनों में अपने साथ कथित मारपीट की घटना से ही इंकार करती है।
- 09— सखीबाई (अ0सा0 1) के द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन न करने से अभियोजन के द्वारा सखीबाई (अ0सा0 1) को पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु सखीबाई (अ0सा0 1) ने अभियोन के समर्थन में घटना की फरियादी होने के बाद भी कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये है, बिल्क अभियोजन घटना के विपरीत सखीबाई (अ0सा0 1) का यह कहना है कि घटना के समय उसके कान में चोट अवश्य थी जो कि फरियादी के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा कारित नहीं की गई थी बिल्क स्वयं उसके बच्चे के द्वारा थोके से उसका कान पकड़कर खीचने से उसे कारित हुई थी। अतः यदि फरियादिया के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण में उसके कान में पाई गई चोट अभियुक्तगण द्वारा कारित न की जाकर धोके से उसके स्वयं के बच्चे के द्वारा कारित की गई थी तथा अभियुक्तगण का फरियादिया से कोई विवाद ही नहीं हुआ तो उक्त आधार पर ही अभियुक्तगण के विरूद्ध फरियादिया के साथ मारपीट कर उपहित कारित करने के कोई आरोप फरियादिया के कथनों से ही प्रमाणित नहीं होते है।
- 10— हरलाल (अ०सा० 2) जो कि फरियादिया का पित है अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि उसका अभियुक्तगण से तालाब में मछिलयों के ठेके पर से विवाद हो गया था तथा अभियुक्तगण ने उसके साथ गाली—गलौच व धक्का—मुक्की कर दी थी। इस साक्षी ने भी अभियोजन घटना के विपरीत फरियादिया के कथनों के समान सखीबाई (अ०सा० 1) के साथ घटना में कोई मारपीट अभियुक्तगण द्वारा न किया जाना बताया है। घटना के अन्य

साक्षी रमुआ (अ०सा० 3) जो कि घटना में आहत् भी थी अपने न्यायालयीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इंकार करता है। हरलाल (अ०सा० 2) व रमुआ (अ०सा० 3) के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन न करने से उन्हें पक्षविरोधी कर अभियोजन के द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया है परन्तु इन दोनों साक्षियों का भी फरियादिया के समान यह कहना है कि अभियुक्तगण ने फरियादिया सखीबाई (अ०सा० 1) के साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

- 11— अतः फरियादिया सखीबाई (अ०सा० 1) सिहत हरलाल (अ०सा० 2) व रमुआ (अ०सा० 3) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न देने से अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट की जाने की घटना प्रमाणित करते है, यदि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादिया सखीबाई (अ०सा० 1) के साथ कोई मारपीट ही नहीं की गई तथा स्वयं फरियादिया भी इस बात की पुष्टि करती है कि उसे अभियुक्तगण के द्वारा कोई उपहित कारित नहीं की गई है तो अभियुक्तगण पर फरियादिया के संबंध में लगाये गये आरोप साबित नहीं होते हैं।
- 12— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 02.07.2013 को शाम 07.00 बजे ग्राम नानकपुर में अभियुक्तगण ने फरियादिया सखीबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित करते हुये उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया के कान में धारदार वस्तु से स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 13— फलस्वरूप संजम पुत्र मोती ढीमर, प्रमोद पुत्र संजम ढीमर, व गुड्डीबाई पत्नी संजम ढीमर के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण संजम पुत्र मोती ढीमर, प्रमोद पुत्र संजम ढीमर, व गुड्डीबाई पत्नी संजम ढीमर को भा०दं०वि० की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्तगण **संजम पुत्र मोती ढीमर, प्रमोद पुत्र संजम ढीमर, व गुङ्डीबाई पत्नी** संजम ढीमर के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नही है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)